



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

16 अग्रहायण 1942 (श10)
(सं0 पटना 931) पटना, सोमवार, 7 दिसम्बर 2020

उद्योग विभाग

vf/kl puk

21 अगस्त 2020

सं0 02/उ0नि0/ITPD-MEA/14-3/2018-1141—जिला स्तर पर जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में जिला स्थित विभिन्न विभागों/जिला उद्योग केन्द्रों/अग्रणी बैंक प्रबंधकों के साथ समन्वय स्थापित कर राज्य एवं जिला स्तर पर निर्यात संवर्धन संबंधित कार्रवाई सुनिश्चित करने हेतु जिला स्तरीय निर्यात संवर्धन समिति का गठन निम्न प्रकार किया जा सकता है:—

- | | | |
|------|---|-----------|
| i | जिला पदाधिकारी | — अध्यक्ष |
| ii | महानिदेशक विदेश मंत्रालय, भारत सरकार
के क्षेत्रीय कार्यालय के मनोनित पदाधिकारी | — सदस्य |
| iii | अग्रणी जिला प्रबंधक | — सदस्य |
| iv | निदेशक, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विकास संस्थान, पटना/मुजफ्फरपुर | — सदस्य |
| v | जिला स्तरीय वाणिज्य-कर सहायक आयुक्त/उपायुक्त | — सदस्य |
| vi | जिला कृषि पदाधिकारी | — सदस्य |
| vii | जिला उद्यान पदाधिकारी | — सदस्य |
| viii | उद्योग संघों/बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रतिनिधि | — सदस्य |

ix महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र

— सदस्य सचिव

आदेश : आदेश दिया जाता है कि इस अधिसूचना को बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित किया जाय एवं इसकी सूचना सभी संबंधित को दी जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
नर्मदेश्वर लाल,
सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 931-571+ 500-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>